

न्यायालय :-कमलेश कुमार कोल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला खण्डवा (म०प्र०)

क्रमांक/क्ष./प्र.फौ./ ७ /2023

खण्डवा, दिनांक-14.09.2023

---:आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2023 में द्वितीय संशोधन आदेश'---:

1- मैं कमलेश कुमार कोल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला पूर्व निमाड खण्डवा 14(1) व 15 (2) द.प्र. सं 1973 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक बी/6630/111-6-6/18 जबलपुर दिनांक 13.09.2023 के आदेशानुसार कार्यविभाजन पत्रक क्रमांक/क्ष/प्र०फौ०/क्यू/2023 खंडवा दिनांक 26.04.2023 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

- 1 पृष्ठ क्रमांक 2 के कॉलम क्रमांक 4 (कार्य का विवरण) में संशोधित सरल क्रमांक 9 के पश्चात सरल क्रमांक 10, (आरक्षी केंद्र हरसूद, खालवा, किल्लौद, नर्मदानगर, मूदी, मांधता को छोड़कर) संपूर्ण खंडवा जिला में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक बी/6630/111-6-6/18 जबलपुर दिनांक 13.09.2023 के आलोक में भीड़ द्वारा की गई हिंसा एवं हत्या (Lynching & mob Violence) से संबंधित आपराधिक प्रकरण।"

- 2 पृष्ठ क्रमांक 7 के कॉलम क्रमांक 4 (कार्य का विवरण) में संशोधित सरल क्रमांक 4 के पश्चात सरल क्रमांक 5 ;
- 3 पृष्ठ क्रमांक 8 के कॉलम क्रमांक 4 (कार्य का विवरण) में संशोधित सरल क्रमांक 6 के पश्चात सरल क्रमांक 7;
- 4 पृष्ठ क्रमांक 9 के कॉलम क्रमांक 4 (कार्य का विवरण) में संशोधित सरल क्रमांक 6 के पश्चात सरल क्रमांक 7 में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक बी/6630/111-6-6/18 जबलपुर दिनांक 13.09.2023 के आलोक में भीड़ द्वारा की गई हिंसा एवं हत्या (Lynching & mob Violence) से संबंधित आपराधिक प्रकरण।"

अ-मुमोस्ट

प्रधान जिला न्यायाधीश
पूर्व निमाड, खण्डवा (म.प्र.)


पृष्ठांकन क्र. 900 /2023

(कमलेश कुमार कोल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला खंडवा (म.प्र.)

खंडवा, दिनांक-14.09.2023

प्रतिलिपि-

- 1- कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय खंडवा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- माननीय विशेष न्यायालय, प्रथम/द्वितीय/तृतीय जिला न्यायाधीश महोदय, खंडवा एवं हरसूद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कार्यालय कलेक्टर जिला खंडवा की ओर प्रेषित।
- 4- पुलिस अधीक्षक, जिला खंडवा (म.प्र.) की ओर समस्त थाना प्रभारियों को सूचित करने हेतु प्रेषित।
- 5- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा/पुनासा/हरसूद जिला खण्डवा सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- उप संचालक (अभियोजन), कार्यालय जिला अभियोजन खंडवा को सूचनार्थ।
- 7- अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, खंडवा को सूचनार्थ।
- 8- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ।
- 9- प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय, खंडवा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 10- प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खंडवा म.प्र.
- 11- सिस्टम आफिसर खण्डवा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त आदेश की प्रति संबंधित को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करे।



(कमलेश कुमार कोल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला खंडवा (म.प्र.)